[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA(EXTRAORDINARY)]
[Part-II, Section 3, sub-Section(ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2016.

S.O. ~ (E).- In exercise of the powers conferred by Sections 27, 64, 110 and 137 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government issued notification GSR 27(E) dated 13.01.2015 **and subsequent notification S.O.1695 dated 25.06.2015**. For the proviso of rule, 47 of the above notification, the following proviso shall be substituted, namely : -

" **provided that upto 31st March, 2016**, on and from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rule, 2015, in respect of the models of the E-Rickshaws and E-Carts existing prior to publication of Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2014 and the notification published vide S.O. 2590(E) dated 8th October, 2014, the application for registration under this sub-rule shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of 7 days from the date of issue of Form-21 and Form-22 and shall be accompanied by –

(i) Road worthiness certificate in Form-22 to be issued by the manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-Cart Association; and
(ii) Sale certificate in Form 21 to be issued by manufacturer or dealer or registered E-rickshaw or E-Cart Association for presentation along with the application for registration"

(Abhay Damle)
Joint Secretary to the Government of India
[No. RT-11036/80/2012-MVL(i)].

{भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ}

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख 5 जनवरी, 2016.

का.आ. ~ (अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धाराएँ 27, 64, 110 एवं 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 13.01.2015 को अधिसूचना सा.का.नि. 27(अ) एवं तद्उपरांत दिनांक 25 जून, 2015 को अधिसूचना सा.का.नि. 1695(अ) जारी किया था। उक्त अधिसूचना के नियम 47 के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"वशर्ते कि केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 के प्रकाशन और का.आ. 2590(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पहले विद्यमान ई–रिक्सा और ई–कार्ट के मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख से **31 मार्च, 2016 तक** पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी को, इस उपनियम के अधीन पंजीकरण हेतु, **प्रारूप–21 एवं प्रारूप–22 के निर्गत होने के सात दिन की अवधि के भीतर प्ररूप–20 में आवेदन किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगें** –

(i) प्रारूप 22 में विनिर्माता या डीलर या पंजीकृत ई–रिक्सा अथवा ई–कार्ट संध द्वारा जारी किए जाने वाला सड़क योग्यता का प्रमाणपत्र; और

(ii) पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रारूप–21 में विनिर्माता या डीलर या पंजीकृत ई–रिक्शा या ई–कार्ट संघ द्वारा जारी किए जाने वाला बिक्रय प्रमाण–पत्र।"।

(अभय दामले)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[सं.आर.टी–11036/80/2012–एम.वी.एल.(i)]

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,EXTRAORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION(ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2016.

S.O. - (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule(1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) No. S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-Section(ii) dated the 13th December, 2014, namely,:-

2. In the said notification, after table B, in the paragraph relating to "Verification of E-rickshaws for safety standard", for the portion beginning with "The registered E-rickshaws Association shall, on or before" and ending with "list of existing E-rickshaw and existing models", the following shall be substituted namely :-

"The registered E-rickshaw Associations or Individual(s) shall, on or before the 31st December, 2015, provide a certified list of E-rickshaws or details of E-rickshaw owned by the individuals with name of owners and the models existing on or before 8th October, 2014 to the transport department of the concerned State Government or Union Territory for the purpose of freezing the list of existing E-rickshaws and existing models.

[No. RT-11036/80/2012-MVL].

(Abhay Damle)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(ii) vide notification number S.O. 1365 (E) dated the 13th December, 2004 and lastly amended vide notification number S.O.2590(E) dated 8th October, 2014.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

का.आ. (अ). केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार पूर्व जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 13 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित, अधिसूचना संख्या का. आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी ख के पश्चात "सुरक्षा मानको के लिए ई रिक्शा का सत्यापन" से सबंधित पैरा में, "ई रिक्शा रजिस्टर्ड संघ" शब्दों से प्रारंभ होने वाले भाग और "विद्यमान मोडलों के साथ प्रदान करेगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

" रजिस्ट्रीकृत ई रिक्शा संघ या व्यष्टि, 31 दिसंबर, 2015 को या उससे पूर्व, सबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन विभाग को विद्यमान ई रिक्शा और विद्यमान मोडलों की सूची पर रोक लगाने के प्रयोजन के लिए 8 अक्टूबर 2014 को या इससे पूर्व ई रिक्शा की प्रमाणित सूचियों के ब्यौरे, जो व्यष्टियों के स्वामित्वधीन है और स्वामियों के नाम सहित और विद्यमान मोडल की सूची उपलब्ध कराएगें ।

(संख्या आर.टी-11036/80/2012-एमवीएल)

(अभय दामले)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 2590 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2014 को संशोधित की गई थी ।